न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 179/10/राजस्व वाद

उनवान

राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. घनश्याम पि. रामसिंह जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. मांगीलाल पि. रामसिंह जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
3. मांगीलाल पि. माधो जाति बलाई नि. हेमडा तहसील सुनेल
4. गुलाब पि. माधो जाति बलाई नि. हेमडा तहसील सुनेल
5. हीरालाल पि. माधो जाति बलाई नि. हेमडा तहसील सुनेल
6. मृतक – कन्हैयालाल पि. माधो जाति बलाई नि. हेमडा के बजाय

6/1 कलावतीबाई बेवा कन्हैयालाल जाति बलाई नि. हेमडा

6/2 श्यामलाल पि. कन्हैयालाल जाति बलाई नि. हेमडा

6/3 सविता पि. कन्हैयालाल जाति बलाई नि. हेमडा

7. गुलाबबाई बेवा नारायण जाति बलाई नि. हेमडा
8. राघू पि. नारायण जाति बलाई नि. हेमडा
9. मोहन पि. नारायण जाति बलाई नि. हेमडा
10. मनोहर पि. नारायण जाति बलाई नि. हेमडा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 175–177 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादी – पेरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा

वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 – श्री कन्हैयालाल रावल

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2021
Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.04.06 11:07:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

निर्णय दिनांक: 30.03.2021

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हेमडा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2062–65 के खाता सं. 183 में दर्ज आराजी ख.न. 54 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा व ख.न. 55 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किता 2 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर प्र.स. 1 व 2 का कब्जा काश्त है जबकि उक्त भूमि प्र.स. 3 से 10 के नाम दर्ज रिकार्ड है जो कि अनुसचित जाति की श्रेणी के काश्तकार है। खातेदार द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 03.07.59 को प्र.स. 1 व 2 को बेचान कर दी गई थी। इस प्रकार अनसूचित जाति की भूमि का स्वर्ण जाति के व्यक्ति को बेचान किया गया जो आर. टी.एक्ट. 1955 की धारा 42 ख के अन्तर्गत अवैध है। ग्राम हेमडा की आराजी ख.न. 54 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा व ख.न. 55 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किता 2 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि मिसल बंदोबस्त में ख.न. मिन 52 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा माधो पि. कामो बलाई के खाते दर्ज थी जो कि प्र.स. 3 से 10 का पिता है। माधो ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि को जरिये रजिस्ट्री हरीराम पि. रूघनाथ कुल्मी को बेचान कर दी थी और हरीराम के लाऔलाद फोत हो चुका है और वर्तमान में उक्त भूमि पर घनश्याम , मांगीलाल पिस. रामसिंह कुल्मी का कब्जा काश्त है जो कि हरीराम के सगे भाई रामसिंह के वारीस है। उक्त भूमि मूल खातेदार हरीराम पि. रूघनाथ कुल्मी को बेचान करने व केता हरीराम के लाऔलाद फोत होने पर भी प्र.स. 1 व 2 बिना किसी अधिकार के भूमि पर कब्जा किये हुये है।

वाद कारण रजिस्ट्री दिनांक 03.07.1959 को कराने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः वाद स्वीकार कर ग्राम हेमडा तहसील पिड़ावा की जमाबंदी सं. 2062–65 के खाता सं. 183 में दर्ज आराजी ख.न. 54 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा व ख.न. 55 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किता 2 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि को खाता सरकार दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण को बेदखल करने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब करने पर प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल रावल ने वकालातनामा पेश कर जवाब दावे में निवेदन किया कि वादी द्वारा दि. 11.10.2010 को लगभग 51 वर्ष बाद वाद पेश किया है जो मियाद बाहर है। वादग्रस्त आराजी मृतक माधो पि. काना की खातेदारी की है जो कि अनुसूचित जाति के अनपढ व्यक्ति था। गरीबी के कारण

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.04.06 11:07:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

दि. 03.07.1959 को उन्होने उक्त आराजी को हरीराम पि. रूघनाथ कुल्मी के यहां रहन रखी थी न कि बेचान की थी परन्तु माधोजी के अनपढ होने का फायदा उठाकर गलत तरीके से विकय पत्र तस्दीक करा लिया गया। इसी आराजी के संबंध में धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के वाद में कब्जा संभलाने का आदेश हुआ जिसकी कोई अपील सरकार की ओर से नहीं की गई। प्रतिवादीगण को कभी बेदखल नहीं किया गया एवं न ही आराजी को मुनाफा काश्त पर देने या बेदखल करने का कोई नोटिस जारी किया हो। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को लाभ पहुचाने के लिये गुपचुप तरीके से उन्ही के नाम बोली खत्म की जाती है। अतः जवाब दावा स्वीकार कर वादी का वाद मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री नीलकमल त्रिवेदी ने वकालातनामा प्रस्तुत कर जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 के पूर्वज तत्कालीन खातेदार माधो पि. कामड जाति बलाई नि. बोरदा द्वारा दिनांक 04.07.1959 को रजिस्टर्ड बयनामें से अपने खाते की आराजी बेचान कर उपपंजीयक सुनेल के यहा जाकर बेचान कर दी थी और वह अपने समस्त अधिकार इस आराजी के संबंध में हस्तानान्तरित कर चुका है उसका मात्र टाईटल शेष रह गया है। खरीददार हरीराम द्वारा एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष पेश की थी जिसका निर्णय दि. 22.06.1991 को करते हुये राज्य सरकार को धारा 175 एल.आर. एक्ट के तहत रेफरेन्स पेश करने हेतु सुझाव दिया गया था जिसकी आगे अपील नहीं की गई इसलिये प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। न्यायालय तहसीलदार पिडावा में नारायण पि. माधो के द्वारा धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के तहत दि. 18.07.1995 को प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें न्यायालय द्वारा दि. 17.08.1995 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया। अतः अप्रार्थी सं. 3 लगायत 10 का अनुतोष खारीज किया जाकर रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

वाद में निम्न तनकियात कायम की गई –

1. आया ग्राम हेमडा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 54 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा एवं ख.नं. 55 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा स्वर्ण जाति के सदस्य को किये जाने से रा.टी.एक्ट की धारा 42 ख का उल्लंघन होने से उक्त भूमि खाता सरकार दर्ज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2021
Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.04.06 11:07:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

——जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं किया जाकर रहन रखी गई थी परन्तु प्रतिवादी के अनपढ़ होने का नाजयज फायदा उठाकर गलत तरीके से बेचान की रजिस्ट्री करवायी गयी जिससे रजिस्टर्ड विक्रय का दावे पर क्या असर है।

——जिम्मे प्रतिवादी सं. 3 से 10

3. आया वादग्रस्त आराजी पर से कभी भी प्रतिवादी को बेदखल नहीं किया गया एवं वाद 51 वर्ष बाद अवधि बाहर पेश किया है जिससे वाद खारीज होने योग्य है।

——जिम्मे प्रतिवादी सं. 3 से 10

4. आया वादग्रस्त आराजी दिनांक 04.07.1959 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान किये जाने से प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 का कोई अधिकार नहीं बचा है जिससे प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

——जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 2

5. दादरसी –

वादी की ओर से नामा. सं. 852 , नकल बंदोबस्त सं. 2022–41 , मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 की ओर से असल बयनामा दि. 04.07.1959, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय दि. 22.06.1991, न्यायालय तहसीलदार पिडावा का निर्णय दि. 17.08.1995 की प्रमाणित प्रतियां पेश की। प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 की ओर से गुलाब पि. माधो व मांगीलाल पि. माधो के शपथ पत्र पेश किये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

तनकी नं. 1 – आया ग्राम हेमडा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 54 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा एवं ख.नं. 55 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा स्वर्ण जाति के सदस्य को किये जाने से रा.टी.एक्ट की धारा 42 ख का उल्लंघन होने से उक्त भूमि खाता सरकार दर्ज किये जाने योग्य है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार जिम्मे वादी था जिन्होने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नामा. सं. 852 , नकल बंदोबस्त सं. 2022–41 , मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपी की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का बेचान अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा स्वर्ण जाति के सदस्य को दिनांक 04.07.1959 को रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.04.06 11:07:18 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned by TapScanner

बयनामें से किया गया है जिसका नामा.सं. 852 दर्ज किया गया था इस प्रकार आर. टी.एक्ट की धारा 42 ख का उल्लंघन हुआ है जिसरो उक्त भूमि खाता सरकार दर्ज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 द्वारा शपथ पत्रो का हवाला देकर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं किया गया बल्कि रहन रखी गई थी परन्तु प्रतिवादीगण के पूर्वज अनपढ होने से इसका फायदा उठाकर गलत तरीके से बेचान करवाया गया है जो कि एक जाली दस्तावेज की श्रेणी में आता है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 की ओर से पेश रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 04.07.1959 के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा स्वर्ण जाति के सदस्य को उक्त आराजी का बेचान किया गया है जो कि धारा 42 ख आर.टीएक्ट का उल्लंघन है अतः यह तनकी नं. 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 – आया वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं किया जाकर रहन रखी गई थी परन्तु प्रतिवादी के अनपढ होने का नाजयज फायदा उठाकर गलत तरीके से बेचान की रजिस्ट्री करवायी गयी जिससे रजिस्टर्ड विक्रय का दावे पर क्या असर है जिसको सिद्ध करने का भार जिम्मे प्रतिवादी सं. 3 से 10 पर था जिनके द्वारा मात्र दो शपथ पत्र पेश किये परन्तु वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं होकर रहन रखा जाने बाबत कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किये जिससे तनकी नं. 2 विरूद्ध प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3 – आया वादग्रस्त आराजी पर से कभी भी प्रतिवादी को बेदखल नहीं किया गया एवं वाद 51 वर्ष बाद अवधि बाहर पेश किया है जिससे वाद खारीज होने योग्य है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी जिम्मे प्रतिवादी सं. 3 से 10 पर था जिनके द्वारा मात्र अपने जवाब दावे में कथन किया गया है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज या न्यायिक नजीर पेश नहीं की जिससे उक्त तनकी सही साबित हो सके अतः उक्त तनकी नं. 3 विरूद्ध प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4 – आया वादग्रस्त आराजी दिनांक 04.07.1959 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान किये जाने से प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 का कोई अधिकार नहीं बचा है जिससे प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 2 पर था जिन्होने असल बयनामा दि. 04.07.1959, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय दि. 22.06.1991, न्यायालय तहसीलदार पिडावा का निर्णय दि. 17.08.1995

COURT 2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.04.06 11:07:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

की प्रमाणित प्रतियां पेश कर निवेदन किया कि रजिस्टर्ड बेचान किये जाने प्रतिवादी सं 3 लगायत 10 वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपने समस्त अधिकारी समाप्त कर चुके है एवं कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यह तनकी नं. 4 प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 5 – दादरसी। जैसा कि तनकी नं. 1 बहक वादी निर्णित हुई है एवं तनकी नं. 2 व 3 विरूद्ध प्रतिवादी सं 3 लगायत 10 निर्णित हुई है तथा तनकी नं. 4 बहक प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 निर्णित हुई है। संक्षेप में सार यह है कि ग्राम हेमडा तहसील पिड़ावा की वादग्रस्त आराजी ख.न. 54 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा व ख.न. 55 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किता 2 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि अनसूचित जाति के खातेदार माधो पि. कामो जाति बलाई द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति हरीराम पि. रूघनाथ कुल्मी को जरिये रजिस्ट्री दि. 04.07.59 को बेचान किया गया जो कि आर. टी.एक्ट. 1955 की धारा 42 ख के प्रावधानो के विपरीत है।

आदेश

अतः वाद स्वीकार कर ग्राम हेमडा तहसील पिड़ावा की जमाबंदी सं. 2062–65 के खाता सं. 183 में दर्ज आराजी ख.न. 54 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा व ख.न. 55 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किता 2 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि को खाता सरकार दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण को बेदखल करने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
COPY 2021
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.04.06 11:07:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

डिक्री मुकदमा इब्त्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 179/10/राजस्व वाद

उनवान

राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल – वादी

बनाम

1. घनश्याम पि. रामसिंह जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. मांगीलाल पि. रामसिंह जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
3. मांगीलाल पि. माधो जाति बलाई नि. हेमडा तहसील सुनेल
4. गुलाब पि. माधो जाति बलाई नि. हेमडा तहसील सुनेल
5. हीरालाल पि. माधो जाति बलाई नि. हेमडा तहसील सुनेल
6. मृतक – कन्हैयालाल पि. माधो जाति बलाई नि. हेमडा के बजाय

6/1 कलावतीबाई बेवा कन्हैयालाल जाति बलाई नि. हेमडा

6/2 श्यामलाल पि. कन्हैयालाल जाति बलाई नि. हेमडा

6/3 सविता पि. कन्हैयालाल जाति बलाई नि. हेमडा

7. गुलाबबाई बेवा नारायण जाति बलाई नि. हेमडा
8. राघू पि. नारायण जाति बलाई नि. हेमडा
9. मोहन पि. नारायण जाति बलाई नि. हेमडा
10. मनोहर पि. नारायण जाति बलाई नि. हेमडा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 175–177 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादी – पेरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा

वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादी सं. 3 लगायत 10 – श्री कन्हैयालाल रावल

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.04.06 11:07:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

वाद स्वीकार कर ग्राम हेमड़ा तहसील पिड़ावा की जमाबंदी सं 2062–65 के खाता सं. 183 में दर्ज आराजी ख.न. 54 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा व ख.न. 55 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किता 2 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि को खाता सरकार दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण को बेदखल करने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

मिज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह .... सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.03.2021 को जारी की गई।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

पिड़ावा,

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.04.06 [illegible] IST
Reason: SelfAttested
OURT 2021

Scanned by TapScanner